irradiation of a few articles of food and spices or export purposes at present and if so, full details thereof indicating items and sources and doses of irradiation; and

(b) the number of units set up/proposed to be set up during the Seventh Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) and (b) Yes, Sir. Government has given clearance for using irradiation for the decontamination of spices and elimination of pathogens present in frozen sea foods. This clearance is only for consignments meant for export.

The radiation emitted by cobalt-60 source is used for this purpose. The irradiation doses used for decontamination of spices and for eradication of pathogens in frozen sea foods are 10 kgy. and 5 kgy (kilogray) respectively.

At present the irradiation facilities available with Bhabha Atomic Research Centre are being used. Commercial facilities for irradiation of spices and frozen sea foods are being designed.

विदेशों द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किए गए शस्त्र तथा शस्त्र सामग्री

1143. **श्री राम चन्द्र विकल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई बाहरी देशों द्वारा पाकिस्तान को युद्धपोतों तथा भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों तथा शस्त्र सामग्री की सप्लाई की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या है और गत दो वर्षों के दौरान इन देशों में से प्रत्येक द्वारा किस-किस प्रकार के तथा कितनी मात्रा में शस्त्रों तथा शस्त्र सामग्री की सप्लाई की गयी ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ;

(घ) क्या भारत ने इस संबंध में इन देशों में से किसी को अपनी चिन्ता तथा विरोध प्रकट किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पाकिस्तान द्वारा अपनी वास्तविक रक्षा आवश्यकताओं से बहुत अधिक अत्याधुनिक हथियारों को प्राप्त करना भारत सरकार के लिये एक गम्भीर चिन्ता का विषय है, क्योंकि इससे न केवल इस क्षेत्र में सुरक्षा के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि सीमित संसाधनों का उपयोग विकास कार्यों पर करने की बजाय रक्षा उपायों पर करना पड़ता है। भारत सरकार ने हथियार सप्लाई करने वाले देशों की सरकारों को अपनी चिन्ता से बार-बार अवगत कराया है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ देश पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार देते जा रहे है। इस मामले में आगे और ब्यौरे देना राष्ट्रहित में नहीं होगा।

केन्द्रीय मंत्रियों प्रतिनिधिमंडलों की विदेशों की यात्रा

1144. **श्री राम चन्द्र विकल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी से 15 जुलाई, 1988 की अवधि के दौरान कुछ केन्द्रीय मंत्रियों

तथा अन्य उच्च स्तरीय सरकारी और गैर-सरकारी भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों ने कुछ देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन यात्राओं का प्रयोजन क्या था और उनके क्या परिणाम निकले ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके साथ विदेशों में बातचीत हुई थी और समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(घ) इन यात्राओं के फलस्वरूप भारत को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति

1145. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के कोई आदेश है कि सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को उनकी सामान्य भविष्य निधि की धनराशि सहित उनकी सभी देय राशियों का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख को ही कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इस नियम के अधीन लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार ने जनवरी, 1987 में ऐसे अनुदेश जारी कर दिए थे जिनमें विभागों/कार्यालयों के अध्यक्षों को इस बात के लिए जवाबदेह बना दिया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनन्तिम अथवा अन्तिम पेंशन और उत्पादन के प्राधिकृत किए जाने और भुगतान किए जाने के बारे में सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है । चूंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले संबंधित मंत्रालय/विभाग की जानकारी में केवल तभी आते हैं जब नोटिस प्राप्त होता तथा चूंकि ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध समय बहुत कम होता है, इसलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में उपर्युक्त आदेशों को लागू करना सम्भव नहीं समझा गया । परन्तु जब कभी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के मामले में पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं के भुगतान में देरी के मामले सरकार की जानकारी में लाए जाते हैं, तो संबंधित विभागों/कार्यालयों को ऐसे मामले यथासंभव न्यूनतम समय में निपटाने की सलाह दी जाती है ।

(ख) पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान की पद्धति विकेन्द्रीकृत आधार पर लागू होती है । इसके अतिरिक्त, पेंशन के भुगतान की व्यवस्था पेंशनभोगी/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के विकल्प के अनुसार वेतन तथा लेखा कार्यालयों, सरकारी खजानों, डाक घरों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से की जाती है । अतः अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Interference of Pakistan in Afghan affairs

1146. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the steps being contemplated by Government of India to prevent interference of Pakistan and Pakistan aided Mujaheedin in Afghanistan;

(b) whether the attempts have met with any success so far; and

(c) what action is proposed to counteract Pakistan's intervention in Afghanistan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Government have